Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)** मुकाम **जोधपुर**

मैसर्स मघाराम चौधरी द्वारा प्रोपराईटर मघाराम चौधरी उम्र 70 वर्ष निवासी अर्जुनदेवनगर, चेराई तहसील तिंवरी जिला जोधपुर बनाम राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार तिंवरी जिला जोधपुर व अन्य

किस्म मुकदमा **राजस्व अपील** नं. 180 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.04.2025	अपीलान्ट की ओर से राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत की गयी। अपील नायब तहसीलदार तिंवरी द्वारा दिनांक 25.03.2025 को नामान्तरकरण संख्या 198 ग्राम जगदम्बानगर अस्वीकार किया जाने का जो आदेश पारित किया गया को निरस्त किया जाने हेतु पेश की गयी है। अपील को दर्ज रजिस्टर किया जावे व रेस्पोडेन्टस को नोटिस जारी किया जाकर पत्रावली दिनांक 08.04.2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर) अपर जिला कलक्टर (द्वितीय), जोधपुर	
8-4-25	पत्रावली पेश हुयी अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित। रेस्पोडेन्ट को जारी नोटिस सर्व हो तामील होकर प्राप्त। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से प्रकरण में जवाब/वकालतनामा प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली वास्ते बहस आयन्दा दिनांक 15-4-25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)
15-4-25	पत्रावली पेश हुयी वकुलाम उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता पक्षकारान की बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हुक्म-दा दिनांक 12-5-25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)

Scanned with CamScanner

12-5-25 पत्रावली बाद निर्णय पेश हुई निर्णय
अलग से लिखाया जाकर सुनाया गया
तथा शामिल पत्रावली किया गया।
अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर
नायब तहसीलदार तिंवरी द्वारा किये
किये गये गये अपीलाधीन आदेश
दिनांक 25-3-2025 को निरस्त
किया जाकर प्रकरण नायब तहसीलदार
तिंवरी को प्रतिप्रेषित करते हुए आदेश
दिया जाता है कि वे ग्राम जगदम्बानगर
तहसील तिंवरी जिला जोधपुर के खसरा
संख्या 566 के खातेदार राजूराम, प्रभुदेवी
व अपीलार्थी मैसर्स मयाराम चौधरी
के मध्य दिनांक 12-6-2024 को
निष्पादित लीज डीड अनुसार भू-
राजस्व के प्रावधानों के तहत नियमानुसार
नामान्तरकरण की कार्यवाही करे। पत्रावली
फैसल शुमार होकर नम्बर से कम
हो तथा बाद तकमील तामील दाखिल
दफ्तर हो।

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज०)

Scanned with CamScanner

न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 180/2025

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. मैसर्स मघाराम चौधरी द्वारा प्रोपराईटर मघाराम चौधरी उम्र 70 वर्ष निवासी अर्जुनदेवनगर चेराई, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर		1. राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार तिंवरी 2. रामूराम पुत्र श्री बिड़दाराम 3. झमकूदेवी पत्नि श्री बिड़दाराम दोनो जातियान–जाट निवासीगण जगदम्बानगर पटवार हल्का पांचलाखुर्द तहसील तिंवरी जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 198 ग्राम जगदम्बानगर दिनांक 25.03.2025 को नायब तहसीलदार तिंवरी द्वारा अस्वीकार किया गया।

उपस्थितिः– 1. अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री लाधूराम पूनिया उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से राजकीय अधिवक्ता दिनेश जोशी उपस्थित।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03 की ओर से अधिवक्ता श्री रविना लामरोड़ उपस्थितं।

निर्णय

दिनांकः 12.05.2025

अपीलान्ट मैसर्स मघाराम चौधरी द्वारा प्रोपराईटर मघाराम चौधरी, उम्र 70 वर्ष, निवासी अर्जुनदेवनगर, चेराई, तहसील तिंवरी जिला जोधपुर की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत रेस्पोडेन्ट राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार तिंवरी जिला जोधपुर व अन्य के विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 198 ग्राम जगदम्बानगर दिनांक 25.03.2025 जो नायब तहसीलदार तिंवरी द्वारा अस्वीकार किया गया के आदेश को निरस्त किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 198 ग्राम जगदम्बानगर को स्वीकृत किये जाने के आदेश हेतु प्रस्तुत की गयी है।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने ग्राम जगदम्बानगर पटवार हल्का पांचलाखुर्द तहसील तिंवरी के खसरा संख्या 583 रकबा 16 बीघा 04 बिस्वा सम्पूर्ण तथा इसी खसरा की सीमा के लगता खसरा संख्या 566 रकबा 11 बीघा में से 4 बीघा भूमि सोलर पावर प्लाण्ट लगवाने हेतु दिनांक 22.06.2024 को इसके खातेदार झमकू पत्नि बिड़दाराम व रामूराम पत्नि बिड़दाराम से पंजीकृत लीज डीड से लेकर कब्जा प्राप्त किया है। उक्त लीज डीड उपपंजीयक तिंवरी के कार्यालय में दिनांक 12.06.2024 को पंजीकृत दस्तावेज है। अपीलार्थी ने उक्त वर्णित भूमि खसरा संख्या 583 रकबा 16 बीघा 4 बिस्वा भूमि का लीज डीड के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज कर लिया गया है तथा खसरा संख्या 566 रकबा 11 बीघा में से 4 बीघा जो अपीलार्थी ने लीज पर ली थी का नामान्तरकरण संख्या 198 पटवारी हल्का द्वारा खोला गया परन्तु प्रत्यर्थी संख्या 1 नायब तहसीलदार तिंवरी ने अपीलार्थी को सुनवाई सूचना का अवसर दिये बिना मनमर्जी से अपने आदेश दिनांक 25.03.2025 द्वारा बिना कोई न्यायसंगत कारण के अस्वीकार किये जाने का आदेश दे दिया जिससे व्यथित होकर अपीलाधीन नामान्तरकरण आदेश दिनांक 25.03.2025 नियम एवं अभिलेख के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने के योग्य होने तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण पंजीकृत लीजडीड के आधार पर दर्ज किया गया होने से स्वीकार किये जाने योग्य होने, नायब तहसीलदार तिंवरी ने अनिवार्य कानूनी प्रावधानों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

Scanned with CamScanner

किया है जो निरस्त किये जाने के योग्य है तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकार किये जाने योग्य होने, नायब तहसीलदार ने नामान्तरकरण को अस्वीकार करने का कारण आवेदन अनुसार नामान्तरकरण नहीं भरने से नामान्तरकरण अस्वीकार किया जाना बताया है उक्त कारण पूर्णतया गैरकानूनी एवं मनमाना है कोई भी नामान्तरकरण किसी पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर दर्ज किया जाता है तो उसकी जांच में दस्तावेज से तुलना किया जाना आवश्यक होता है जिस बाबत नायब तहसीलदार ने कोई कारण नहीं दिया है लीजडीड के अनुसार नामान्तरकरण पूर्णतया सही दर्ज किया जाना स्पष्ट है इन परिस्थितियों मे अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.03.2025 निरस्तनीय है। नायब तहसीलदार द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो पूर्णतया प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्तनीय है तथा पंजीकृत लीज डीड के आधार पर उक्त नामान्तरकरण स्वीकार किये जाने के योग्य होने, राज्य सरकार द्वारा सोलर प्लाण्ट आदि योजनाएं को तुरन्त स्थापित कर उनकी क्रियान्विति जल्द करने की योजना लागू की गयी है अपीलाधीन आदेश राज्य सरकार की उक्त योजना की अनदेखी करते हुए बिना किसी कारण के लीज का नामान्तरकरण अस्वीकार कर उक्त प्लाण्ट को देरी के उद्देश्य से विद्युत उत्पादन में देरी पैदा की है इस कारण अपीलाधीन नामान्तरकरण आदेश निरस्त किया जाकर नामान्तरकरण को लीज डीड के आधार पर तुरन्त स्वीकार किया जाना न्यायहित में आवश्यक है ताकि उक्त प्लाण्ट में बिजली उत्पादन शीघ्र शुरू किया जाकर आमजन को बिजली सुविधा दिलायी जा सके आदि आधारों पर अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण आदेश दिनांक 25.03.2025 को निरस्त किया जाने एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 198 ग्राम जगदम्बानगर को स्वीकार किये जाने के आदेश हेतु निवेदन किया गया है।

अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री लाधूराम पूनिया ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए नामान्तरकरण संख्या 198 ग्राम जगदम्बानगर दिनांक 25.03.2025 जो नायब तहसीलदार तिंवरी द्वारा अस्वीकार किया गया के आदेश को निरस्त किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 198 ग्राम जगदम्बानगर को स्वीकृत किये जाने के आदेश हेतु निवेदन किया गया है।

रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता रविना लामरोड़ द्वारा अपील का जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें बताया कि प्रत्यर्थीगण ने अपनी सामलाती खातेदारी भूमि ग्राम जगदम्बानगर के खसरा संख्या 566 रकबा 11 बीघा में से 4 बीघा भूमि सोलर पॉवर प्लाण्ट लगाने के लिये पंजीकृत लीज डीड दिनांक 12.06.2024 के आधार पर अपीलार्थी को हस्तान्तरित की है जिसका नामान्तरकरण अपीलार्थी के नाम दर्ज किया जाता है तो हमे कोई एतराज नहीं है तथा हम इससे सहमत है। उक्त 4 बीघा भूमि मौके पर हमने जिस जगह अपीलार्थी को लीज पर दी है वह लीज डीड के संलग्न नजरी नक्शे में दर्शायी हुई है। अतः जवाब प्रस्तुत कर दिनांक 12.06.2024 को क्रम संख्या 202403076101586 पर पंजीकृत लीज डीड के आधार पर अपीलार्थी मैसर्स मघाराम चौधरी के नाम नंामान्तरकरण सख्या 198 ग्राम जगदम्बानगर जो दिनांक 25.03.2025 को भरा गया था उसे स्वीकार करने में हम सहमत है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की अधिवक्ता रविना लामरोड़ ने अपनी बहस में अपील के जवाब के तथ्यों के दोहराते हुए अपीलान्ट के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत करने का निवेदन किया गया है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दिनेश जोशी ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम जगदम्बानगर के उक्त खसरा संख्या 566 रकबा 11 बीघा में से 4 बीघा

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

Scanned with CamScanner

भूमि सोलर प्लाण्ट लगवाने हेतु दिनांक 22.06.2024 को इसके खातेदार झमकू पत्नि बिड़दाराम व रामूराम पुत्र बिडदाराम से पंजीकृत लीज डीड से लेकर कब्जा प्राप्त किया है में नायब तहसीलदार तिंवरी द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण को अस्वीकार करने का कारण आवेदन अनुसार नामान्तरकरण नहीं भरने से नामान्तरकरण अस्वीकार किया जाना बताया है। उक्त नामान्तरकरण को अस्वीकार करने के नायब तहसीलदार तिंवरी ने जो उक्त कारण बताया वह सही होने से नायब तहसीलदार तिंवरी द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.03.2025 को यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया है।

उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन विचारण करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् हम इस निर्णय पर पहुंचते है कि अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार तिंवरी द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण आदेश दिनांक 25.03.2025 को निरस्त किये जाने एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 198 ग्राम जगदम्बानगर को स्वीकार किये जाने के आदेश हेतु यह अपील पेश की गयी है। अपीलार्थी द्वारा खसरा नम्बर 566 रकबा 11 बीघा में से 4 बीघा भूमि सोलर पॉवर प्लाण्ट लगाने के लिए लीज पर ली थी जिसका नामान्तरकरण संख्या 198 पटवारी हल्का द्वारा खोला गया किन्तु नायब तहसीलदार तिंवरी द्वारा अपने आदेश दिनांक 25.03.2025 में आवेदन अनुसार नामान्तरकरण नहीं भरा जाने से उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण अस्वीकार कर दिया गया।

अपीलार्थी ने ग्राम जगदम्बानगर तहसील तिंवरी जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 566 रकबा 1.7806 हैक्टयर (11 बीघा) भूमि में से रकबा 0.6475 हैक्टयर (04 बीघा) भूमि सोलर पॉवर प्लाण्ट लगाने के लिए लीज पर ली गयी थी तथा लीज डीड को उप पंजीयक कार्यालय तिंवरी से दिनांक 12.06.2024 को पंजीयन भी करवाया गया था तथा उसी के आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकार करना. था किन्तु नायब तहसीलदार तिंवरी द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण को सिर्फ इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि आवेदन अनुसार नामान्तरकरण नहीं भरा गया, जबकि अपीलार्थी द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण को स्वीकृत कराने से संबंधित लीज डीड पंजीयन करवाने की सभी विधिक प्रक्रियाएं पूरी की गयी है। इसके अलावा अपीलार्थी द्वारा अपील में यह बताया कि नायब तहसीलदार तिंवरी द्वारा उसको सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना व बिना जांच व विधिक प्रक्रिया अपनाये अपीलाधीन नामान्तरकरण अस्वीकार किया गया है। अपीलाधीन आदेश का अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि नायब तहसीलदार तिंवरी द्वारा आवेदन अनुसार नामान्तरकरण नहीं भरने से नामान्तरकरण अस्वीकार किया गया जबकि अपीलाधीन नामान्तरकरण में आवेदन में क्या त्रुटि की गयी इसका कहीं भी स्पष्ट वर्णन नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार, तिंवरी द्वारा किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.03.2025 को निरस्त किया जाकर प्रकरण नायब तहसीलदार तिंवरी को प्रतिप्रेषित करते हुए आदेश दिया जाता है कि वे ग्राम जगदम्बानगर, तहसील तिंवरी जिला जोधपुर के खसरा संख्या 566 के खातेदार रामूराम पुत्र बिड़दाराम, झमकूदेवी पत्नि बिड़दाराम व अपीलार्थी मैसर्स मघाराम चौधरी के मध्य दिनांक 12.06.2024 को निष्पादित लीज डीड अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो

निर्णय आज दिनांक 12.05.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज०)

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

Scanned with CamScanner